मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग)

"चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट), मेन रोड नं.1, भोपाल — 462011

फोन न.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

website: www.esb.mp.gov.in, E-Complain Id : Complaint.esb@mp.gov.in

संशोधन

वन विभाग के अन्तर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक)
एवं
जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2026

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 28.02.2026	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 30.04.2026
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 28.02.2026	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 30.04.2026
परीक्षा की संभावित दिनांक व दिन	**25.05.2026, सोमवार से प्रारंभ**

परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती के पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
सीधी भर्ती - बैकलॉग		कोई शुल्क नहीं

ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा की संभावित दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
25.05.2026 , सोमवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रात: 8:00 से 9:00 बजे तक	09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 10:00 से 12:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. मण्डलद्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित(Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड /आधार कार्ड की छायाप्रति/ आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है । अत: जिन अभ्यर्थियों का आधार नम्बर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।

10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है । अत :कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) (पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी |

11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

12. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वनरक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-2 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को पृथक-पृथक प्रेषित करना होगा । मण्डल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

13. जेल विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

अध्याय - 1 (अ)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग, मध्यप्रदेश, वन भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक चयन परीक्षा- 2026

संशोधन

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुडा भवन म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/प्रशा/।।/क्षे.स्था.2/**1333 भोपाल दिनांक 02 अप्रैल 2026** के अनुसार **वनरक्षक** के पदों की **पूर्व में** विज्ञापित आरक्षण तालिका से संबंधित पृष्ठ 5 एवं 17 से 19 को निरस्त कर **निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं** :-

1.3 पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता:-

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
वनरक्षक **सीधी भर्ती-1007** **बैकलॉग-104** **कुल पद-1111**	19500-62000	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से दशवीं कक्षा उत्तीर्ण(हाईस्कूल) ।

1.3.1 आरक्षण तालिका:- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की आरक्षण तालिका

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग ओपन	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	योग	रिमार्क
1	अनारक्षित (UR)	118	22	65	08	213	कुल रिक्ति 1007 पद का 01 प्रतिशत अर्थात 11 पद राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाडियों (खेलों के नाम- तैराकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स (दौड, ऊंची कूद, लम्बी कूद, गोला फैंक, भाला फैंक एवं तवा फैंक) के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का खिलाडी इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	अनुसूचित जाति (SC)	96	15	50	04	165	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	161	31	90	07	289	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	132	23	71	03	229	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	63	11	35	02	111	
	योग	570	102	311	24	1007	

सीधी भर्ती हेतु अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

सक्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अनारक्षित (UR)	118	22	65	08	213
2	अनुसूचित जाति (SC)	96	15	50	04	165
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	161	31	90	07	289
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	85	18	47	02	152
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	63	11	35	02	111
	योग	523	97	287	23	930

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

स. क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	योग
		ओपन	-	-	-	-
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रावाधिक	47	5	24	1	77
2	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	47	5	24	1	77

बैकलॉग से भरे जाने वाले पदों की आरक्षण तालिका

सक्र.	श्रेणी	बिनावर्ग	भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	योग	रिमार्क
		ओपन	-	-	-	-	
1	अनुसूचित जाति (SC)	24	5	13	0	42	कुल रिक्ति 104 पद का 01 प्रतिशत अर्थात 01 पद राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों (खेलों के नाम- तैराकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स (दौड, उंची कूद, लम्बी कूद, गोला फैंक, भाला फैंकएवं तवा फैंक) के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का खिलाडी इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2	अनुसूचित जनजाति	35	6	18	0	59	
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	0	1	0	3	
	योग -	**61**	**11**	**32**	**0**	**104**	

परिशिष्ट-1

वनरक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार व सवर्गवार क्षैतिज आरक्षण तालिका (वर्ष 2025—26) (कार्यपालिक)

क्र.	वन वृत्त का नाम	जिले का नाम	अनारक्षित					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					योग
			कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी नगर सैनिक	संविदा हेतु आरक्षित	
					10%	30%				10%	30%				10%	30%				10%	30%				10%	30%		
1	बालाघाट	बालाघाट	26	13	3	8	2	11	7	1	3	0	35	18	4	11	2	19	11	2	6	0	11	6	1	3	1	102
2	बैतूल	बैतूल	0	0	0	0	0	11	7	1	3	0	59	32	6	18	3	12	8	1	3	0	6	3	1	2	0	88
3	भोपाल	भोपाल	6	3	1	2	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	9	5	1	3	0	6	3	1	2	0	24
4		सीहोर	7	4	1	2	0	9	5	1	3	0	3	2	0	1	0	9	5	1	3	0	5	2	1	2	0	33
5		विदिशा	5	2	1	2	0	4	3	0	1	0	1	1	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	14
6		रायसेन	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	10	6	1	3	0	10	5	1	3	1	7	4	1	2	0	30
7	छतरपुर	छतरपुर	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8		पन्ना	0	0	0	0	0	14	8	1	4	1	15	7	2	5	1	9	5	1	3	0	3	2	0	1	0	41
9	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	6	3	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	2	0	13
10	ग्वालियर	ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	1	2	0	0	0	0	0	0	7
11		श्योपुर	11	6	1	3	1	8	5	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	2	0	25
12	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	11	6	1	3	1	12	6	1	4	1	12	7	1	4	0	10	6	1	3	0	11	6	1	3	1	56
13		हरदा	6	3	1	2	0	4	3	0	1	0	11	7	1	3	0	7	4	1	2	0	3	2	0	1	0	31
14	इंदौर	इंदौर	7	4	1	2	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	11
15		धार	3	2	0	1	0	2	1	0	1	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
16		झाबुआ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	2	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	18
17		अलीराजपुर	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	15	8	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18
18	जबलपुर	जबलपुर	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6
19		मण्डला	21	11	2	6	2	3	2	0	1	0	3	2	0	1	0	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	33
20		डिण्डोरी	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21	खण्डवा	खण्डवा	0	0	0	0	0	7	4	1	2	0	15	8	2	5	0	7	4	1	2	0	4	3	0	1	0	33
22		बुरहानपुर	17	9	2	5	1	5	2	1	2	0	16	8	2	5	1	2	1	0	1	0	6	3	1	2	0	46
23		बड़वानी	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	9	5	1	3	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14
24	रीवा	सिंगरौली	3	2	0	1	0	6	3	1	2	0	11	7	1	3	0	8	5	1	2	0	3	2	0	1	0	31
25		सीधी	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	8	5	1	2	0	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	17
26	सागर	सागर	17	9	2	5	1	15	8	2	5	0	5	2	1	2	0	26	14	3	8	1	11	7	1	3	0	74
27		दमोह	2	1	0	1	0	6	3	1	2	0	4	3	0	1	0	4	3	0	1	0	2	1	0	1	0	18
28	सिवनी	सिवनी	18	11	2	5	0	1	1	0	0	0	8	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
29		नरसिंहपुर	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
30	शहडोल	शहडोल	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	13	8	1	4	0	1	1	0	0	0	17
31		उमरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	1	3	1	3	2	0	1	0	13
32	शिवपुरी	शिवपुरी	9	5	1	3	0	5	2	1	2	0	1	1	0	0	0	10	6	1	3	0	4	3	0	1	0	29
33		गुना	5	2	1	2	0	8	4	1	2	1	6	3	1	2	0	4	3	0	1	0	4	3	0	1	0	27
34		अशोकनगर	4	3	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	2	1	0	1	0	12
35	उज्जैन	मंदसौर	4	3	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0		0	0	0	8
		रतलाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	4
37		नीमच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	1	2	0	0		0	0	0	8
38		देवास	14	9	1	4	0	8	4	1	2	1	15	8	2	5	0	15	8	2	5	0	6	3	1	2	0	58
		योग	213	118	22	65	8	165	96	15	50	4	289	161	31	90	7	229	132	23	71	3	111	63	11	35	2	1007

1. पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।
2. जिन जिलों में पद रिक्त नहीं है अथवा कम संख्या में पद रिक्त है उन्हें विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया है।
3. विभाग में संविदा के कुल स्वीकृत पद 48 का 50 प्रतिशत अर्थात 24 पदों हेतु संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये आरक्षित रखे गये है।
4. वनरक्षक के रिक्तियों का 01 प्रतिशत पद अर्थात 11 पद राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। उक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी ना मिलने पर उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों से पद भरा जाएगा।
(खेल के नाम– तैराकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स)

वनरक्षकों की भर्ती हेतु बैकलाग पदों की जिलेवार व सवर्गवार क्षैतिज आरक्षण तालिका (वर्ष 2025—26) (कार्यपालिक)

क्र.	वन वृत्त का नाम	जिले का नाम	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					योग
			कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी	संविदा हेतु आरक्षित	कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी	संविदा हेतु आरक्षित	कुल	ओपन	भूत पूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयं सेवी	संविदा हेतु आरक्षित	
					10%	30%				10%	30%				10%	30%		
1	बैतूल	बैतूल	3	2	0	1	0	20	12	2	6	0	0	0	0	0	0	23
2	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	सागर	सागर	27	16	3	8	0	13	8	1	4	0	0	0	0	0	0	40
4		दमोह	7	4	1	2	0	16	9	2	5	0	0	0	0	0	0	23
5	शिवपुरी	शिवपुरी	0	0	0	0	0	10	6	1	3	0	3	2	0	1	0	13
		योग	42	24	5	13	0	59	35	6	18	0	3	2	0	1	0	104

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।)
म.प्र. भोपाल

वनरक्षक के रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसेः-बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियो जिलेवार आफ लाईन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु जिला/वनमण्डल का पता एवं दूरभाष क्र0 का विवरण

क्र.	वृत्त	वृत्त कार्यालय का पता	फोन नंबर	जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने है।	वनमण्डल कार्यालय का फोन नं
24.	बालाघाट	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत बालाघाट, सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन-481001	07632 241201	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट, सिवनी रोड सिविल लाईन बालाघाट, पिन-481001	07632-248414, 9424790201
25.	बैतूल	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत बैतूल, कालापाठा बैतूल, पिन-460001,	07141 234396	वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल बैतूल कालापाठा बैतूल, पिन-460001,	07141-234204, 9424790302
26.	भोपाल	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत भोपाल, लिंक रोड नं.-1 खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल, पिनकोड-462003,	0755 2674296,	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर, रेल्वे स्टेशन फाटक के पास, गल्ली मंडी रोड, सीहोर पिनकोड-466001,	07562-222767, 9424790851
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा, NH146, शास्त्री नगर, विदिशा, पिन- 464001	07592-232967, 9424790950
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन, जिला न्यायालय के सामने, सांची रोड, रायसेन, पिनकोड-464551,	07482-222027, 9424790651
27.	छतरपुर	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत छतरपुर, पुराना बिजावर नाका सागर रोड छतरपुर, पिनकोड-471001	07682 242107	वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल पन्ना, जगत चौकी, डायमण्ड चौराहा पन्ना, पिनकोड-488001	07732-252029, 9424791151
28.	छिंदवाडा	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त छिंदवाडा, खजरी चौक, छिंदवाडा पिनकोड 480001	07162 245470	वनमण्डलाधिकारी, पूर्व वनमंडल छिंदवाडा, सिविल कोर्ट के पास, छिंदवाडा पिनकोड 480001	07162-243457 92424791451
29.	ग्वालियर	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त ग्वालियर, सेन्ट्रल नर्सरी रूपसिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, पिन कोड-474002	0751 2340050	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर, रेल्वे स्टेशन के पास बिजलीघर रोड, श्योपुर पिनकोड-476337,	07530-220002 9424791925
30.	नर्मदापुरम	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत नर्मदापुरम, नर्मदा महाविद्यालय के सामने, नर्मदापुरम, पिनकोड-461001	07574 252521	वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल नर्मदापुरम, कलेक्टर कार्यालय के सामने, नर्मदापुरम	07574-254178 9424792027
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल हरदा पालीटेक्निक के पास, हरदा, पिनकोड-461001,	07577-222025 9424795902
31.	इन्दौर	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत इन्दौर, नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड-452001	0731 2491831	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल इन्दौर नवरतन बाग परिसर, इंदौर पिनकोड-452001	0731-2490239 9424792325
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल धार मांडु नाका, धार पिनकोड-454001	07292-222250 9424792226
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल झाबुआ सरदार पटेल मार्क, झाबुआ पिनकोड-457661,	07392-243316 94247.92428

क्र.	वृत्त	वृत्त कार्यालय का पता	फोन नंबर	जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी का पता, जहां आवेदन पत्र भेजे जाने है।	वनमण्डल कार्यालय का फोन नं
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अलीराजपुर काष्ठागार डिपो केम्पस (खण्डवा-बड़ोदा मार्ग) अलीराजपुर पिनकोड-457887	07394-234530 9573759335
32.	जबलपुर	मुख्य वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर, एल्गिन अस्पताल के सामने, रेल्वे रोड, जबलपुर, पिन कोड- 482001	0761 262341	वनमण्डलाधिकारी, पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला देवदरा रोड, मण्डला पिनकोड-481661	07642-252423 9424792825
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी पिनकोड-481880	07644-234400 9424792600
33.	खण्डवा	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त खण्डवा, सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड-450001	0733 2224120	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा सिविल लाईन, खण्डवा, पिनकोड-450001	0733-2223244 9424793176
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बडवानी कारंजा चैराहा, बडवानी, पिनकोड-451551	07290-222038 94247930325
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, बुरहानपुर, नेहरू स्टेडियम के सामने, रास्तीपुरा, बुरहानपुर, पिनकोड-450331,	07325-251280 9424793075
34.	रीवा	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त रीवा, जयंती कुंज झिरिया सेन्ट्रल स्कूल-मार्ग रीवा, पिनकोड-486001	07662 299198	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली बस स्टेण्ड रोड, महाराज होटल के पास, मोरवा सिंगरौली, पिनकोड-486889,	07805-355325 9424793526
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सीधी सम्राट (पृथ्वीराज सिंह) चैराहा से कोतवाली रोड, सीधी पिनकोड-486661	07822-252235 9424793606
35.	सागर	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सागर, सागर पोददार कॉलोनी के सामने, वन परिसर तिलि रोड, सागर पिनकोड-470002	07582 236262	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल, सागर पोददार कॉलोनी के सामने, वन परिसर तिलि रोड, सागर पिनकोड-470002	07582-236337 9424793806
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दमोह कमला नेहरू कॉलेज के पास सिविल वार्ड नं.4, दमोह पिनकोड-470661	07812-222541
36.	सिवनी	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त सिवनी, जबलपुर रोड ज्यारंत नाका के पास, सिवनी पिनकोड-480661	07692 225554	वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल सिवनी कलेक्टर कार्यालय के पास महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग, सिवनी, पिनकोड-480661,	07692-220530 9424794109
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नरसिंहपुर, गांधी चौक के सामने, नरसिंहपुर पिन-487001	07792-230624 9424794005
37.	शिवपुरी	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शिवपुरी, वन विद्यालय, शिवपुरी, पिनकोड-473551	07492-223392	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, शिवपुरी कोठी नं-11, ग्वालियर बायपास ए बी रोड़, शिवपुरी पिनकोड-473551	07492-221012 9424794738
				वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, गुना स्टेशन रोड, विद्युत मंडल कार्यालय के सामने गुना, पिनकोड-473001	07542-259650 9424794655
38.	उज्जैन	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त उज्जैन, दमदमा उदयान मार्ग कोठी रिंग रोड, उज्जैन पिनकोड-456010	0734 2512101	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल देवास ताराणी कालोनी ए.बी. रोड, देवास, पिनकोड-455001	07272-253020 9424792127

विज्ञापित पदों की संशोधित एकजाई जानकारी

स.क्र.	विभाग/कार्यालय का नाम	पद नाम	पदों की संख्या
1	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग, मध्यप्रदेश	वनरक्षक (सीधी भर्ती)	1007
		वनरक्षक (सीधी भर्ती-बैकलॉग)	104
2	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्ररक्षक (सीधी भर्ती)	169
3	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग	प्रहरी (सीधी भर्ती)	757
		सहायक जेल अधीक्षक (सीधी भर्ती)	25
योग -			2062

अध्याय 3 - मण्डल के परीक्षा संचालन नियमों में निम्नलिखित नियम में संशोधित किये जाते हैं

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

(A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

- (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।

(C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

(D) आपत्तियुक्त प्रश्नों के निराकरण हेतु मंडल द्वारा प्रदाय विकल्प को कुंजी समिति विषय विशेषज्ञों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

खण्ड-स

3.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
28.02.2026	30.04.2026	62	28.02.2026	30.04.2026	62

3.32 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	परीक्षा का नाम	पाली	संभावित दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2026	प्रथम	25.05.2026 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 10:00 से 12:00 तक	100
		द्वितीय			दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.33 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई.डब्लू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.34 परीक्षा शहर :-

आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहर की प्राथिमकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है | बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथिमकता में अंकित किये गए शहरों में सीटो की उपलब्धता के आधार पर **Random** प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा | तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है| बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होगा | लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी |

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
भोपाल	इन्दौर	जबलपुर	खण्डवा	नीमच	रतलाम
रीवा	सागर	सतना	सीधी	उज्जैन	अनूपपुर

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

(1) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

(2) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(3) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(4) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(5) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(6) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(7) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

(8) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(9) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।

(10) मंडल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में रिक्त विभिन्न प्रकार के पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन समूह परीक्षा के रूप में किया जाता है। इन परीक्षाओं में पदवार निर्धारित शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं के आधार पर आवेदकों द्वारा विभिन्न के पदों के प्राथमिकताक्रम दिए जाते हैं।

इन परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम में प्राप्त परसेंटाईल के आधार पर आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकताक्रम में जो पद आवंटित होता है, उसके पहले की प्राथमिकताक्रम वाले पदों की प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त होगा। परन्तु जिस प्राथमिकताक्रम का पद आवंटित हो जाता है, उसके बाद की शेष प्राथमिकताक्रम के पदों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त नहीं होगा।

उदाहरणार्थ किसी आवेदक द्वारा निम्नानुसार पदों के प्राथमिकताक्रम ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिया जाता है, तब :-

प्राथमिकताक्रम	01	02	03	***04***	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पद कोड	151	004	008	***116***	143	115	128	098	018	106	144	114	096	027	021	002	023	166

परीक्षा में प्राप्त परसेंटाईल के आधार पर उपरोक्त पद प्राथमिकताक्रम में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकताक्रम के पदों की प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त होता है तथा उसे चौथी प्राथमिकताक्रम के पद कोड 116 की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि आवेदक को चौथी प्राथमिकताक्रम के पद की प्रावीण्य सूची में ही स्थान प्राप्त हुआ है। अत: इसके बाद के शेष प्राथमिकताक्रम वाले पदों की प्रावीण्य/ प्रतीक्षा सूची में उसे स्थान प्राप्त नहीं होगा।

(11) आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका का भली-भांति अवलोकन/अध्ययन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप संबंधित परीक्षा की नियमपुस्तिका में उल्लेखित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन पत्र भरें।

(12) यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपना आवेदन पूरी तरह सावधानी के साथ भरें। आवेदन-पत्र में अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर नियमपुस्तिका में उल्लेखत प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार निर्धारित समयावधि में संभव होगा। त्रुटि/प्रविष्टि में परिवर्तन/सुधार मंडल स्तर पर संभव नहीं है। इस संबंध में मंडल कार्यालय में प्राप्त आवेदन अमान्य किये जाते हैं तथा इन्हें नस्तीबद्ध करते हुए प्रतिउत्तर नहीं दिया जाता है।

(14) कतिपय अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) में त्रुटि परिलक्षित होने पर परिवर्तन/संशोधन हेतु आवेदन करते हैं, जबकि यह त्रुटि उनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में की गई त्रुटि एवं समय-सीमा में सुधार न करने का परिणाम होती है, अत: इस संबंध में कोई भी आवेदन/पत्राचार तत्समय मंडल द्वारा मान्य किया जाना संभव नहीं होता है।

(15) समूह परीक्षाओं में कतिपय स्थितियाँ ऐसी बन सकती है, जिसमें अलग-अलग पदों/प्रश्न पत्र होने पर पृथक-पृथक प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) जारी किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रवेश-पत्र (टी.ए.सी.) लेकर जाना आवश्यक होगा।

(16) किसी भी तकनीकी त्रुटि होने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब होने की स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र हल करने हेतु निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराई जाती है, अत: ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को बिना किसी चिंता के परीक्षा संचालन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

(17) मंडल का कार्यक्षेत्र केवल विभाग की मांग पर परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने तक सीमित है। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का है।

(18) उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मंडल द्वारा विभागों के मांग-पत्रों के आधार पर प्रवेश, पात्रता, चयन एवं भर्ती परीक्षाएँ पूर्ण पारदर्शी एवं उत्कृष्ट तकनीकी मापदंडों के अनुरूप आयोजित की जाती है, जिनकी यथासंभव सुरक्षा एवं शुचिता सुनिश्चित की जाती है। अत: इस संबंध में अगर किसी के द्वारा अवांछित लाभ उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, तो अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इसकी सूचना समस्त जानकारियों सहित तत्काल मंडल कार्यालय को प्रदान करें। परीक्षा से संबंधित अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होने/सहयोग प्रदान करने/तथ्य छुपाने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।

टीप - परीक्षा की शेष जानकारी/नियम/निर्देश पूर्व में जारी नियमपुस्तिका व संशोधनों के अनुसार यथावत रहेंगे ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल

(शाखा प्रशासन–।।)

क्रमांक/प्रशा.।।/क्षे.स्था.2/ 1333 भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल, 2026

प्रति,

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषयः वनरक्षकों की भर्ती वर्ष 2026 के संबंध में।

संदर्भः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/4979 दिनांक 11.09.2025, पत्र क्र./5715 दिनांक 14.10.2025, पत्र क्र./6706 दिनांक 23.12.2025, पत्र क्र./604 दिनांक 12.02.2026, पत्र क्र./788 दिनांक 25.02.2025 एवं पत्र क्र/868514/2026 दिनांक 10.03.2026 तथा आपका पत्र क्रमांक/ई.एस.बी./02/09/2024/2317/5–प–1 दिनांक 31.03.2026

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से वर्ष 2026 में वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु 728 पदों को भरने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा उक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन दिनांक 28.02.2026 को प्रकाशित किया गया है। आपके पत्र दिनांक 31.03.2026 द्वारा दिनांक 10.04.2026 से पूर्व अद्यतन आरक्षण तालिका प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

2/ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वनरक्षक के सीधी भर्ती हेतु जिले स्तर पर संधारित रोस्टर का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से कराया जाकर अनुमोदित रोस्टर अनुसार जिले में प्रवर्गवार रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के आधार पर सीधी भर्ती हेतु संशोधित प्रस्ताव निम्नानुसार है–

वर्ष 2026 में भर्ती हेतु प्रवर्गवार रिक्त पदों की स्थिति	अना	अजा	अजजा	अपिव	EWS	योग
	213	165	289	229	111	1007

साथ ही वनरक्षक के बैकलॉग के पदों को भरे जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

वर्ष 2026 में भर्ती हेतु प्रवर्गवार रिक्त पदों की स्थिति	अजा	अजजा	अपिव	योग
	42	59	03	104

उक्त पदों को भरने हेतु निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न हैं :–

1. वनरक्षक भर्ती हेतु वनरक्षक नियम पुस्तिका की संशोधित कंडिका 1.3 एवं 1.3.1
2. जिलेवार हारिजन्टल आरक्षण का प्रपत्र।
3. 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों का प्रपत्र।
4. 13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों का प्रपत्र।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

02/04/26

(कमलिका मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
म.प्र.भोपाल

D:\17.2.16\C R BATHAM\FG Bharti 2022-2023\Letter-2022 PEB.docx

06/04/26

पृष्ठां.क्रमांक / प्रशा.।।/क्षे.स्था.2/ 1334 भोपाल, दिनांक 02/04/2016

प्रतिलिपिः अपर सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहेंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
म.प्र.भोपाल

D:\17.2.16\C R BATHAM\FG Bharti 2022-2023\Letter-2022 PEB.docx